कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– ५२४४ /जी– 66/2025–26 दिनांक–18 अगस्त 2025

संशोधित विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या–1839/XL-1/2025-89/2024(80097) दिनांक–14 अगस्त, 2025 के क्रम में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग उत्तराखण्ड़ के अधीन राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1471/जी–66/2023–24 दिनांक–07 जून, 2024 के द्वारा जारी विज्ञप्ति को सम्यक विचारोपरान्त निरस्त करते हुये उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1047/चि0–1/2009–90/2007 दिनांक–19 अगस्त, 2009 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009"** एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1125/XXX-2010-90/2010 दिनांक 25 नवम्बर 2010 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010"** में निहित प्राविधानों के अनुसार **आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी अधिकारी** के (वेतन मैट्रिक्सरू0 9300–34800 लेबल–6) रिक्त 21 (20 आयुर्वेदिक एवं 01 यूनानी) पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्रपत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आंमत्रित किये जाते हैं। **जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

रिक्त पदों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति (संशोधित विवरण) :–

पदनाम– फार्मेसी अधिकारी (आयुर्वेद)–

	पदों की संख्या	**क्षैतिज आरक्षण**							**ओपन कैटेगरी**
		महिला आरक्षण (30%)	दिब्यांगजन (4%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित (2%)	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे (5%)	कुशल खिलाड़ी (4%)	राज्य आन्दोलन कारियों के आश्रित (10%)	
अनु0 जाति **(19%)**	**01**	–	–	–	–	–		–	01
अनु0 जनजाति **(4%)**	**00**	–	–	–	–	–		–	00
अन्य पिछड़ा वर्ग **(14%)**	**00**	–	–	–	–	–		–	00
सामान्य– आर्थिक रूप से कमजोर **(10%)**	**01**	–	–	–	–	–		–	01
सामान्य	**18**	5	–	–	–	–	–	1	12
योग– 20 पद	**20**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14**

पदनाम– फार्मेसी अधिकारी (यूनानी)–

	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण							ओपन कैटेगरी
		महिला आरक्षण (30%)	दिब्यांगजन (4%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित (2%)	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे (5%)	कुशल खिलाड़ी (4%)	राज्य आन्दोलन कारियों के आश्रित (10%)	
अनु0 जाति **(19%)**	**01**	–	–	–	–	–		–	01
अनु0 जनजाति **(4%)**	**00**	–	–	–	–	–		–	00
अन्य पिछड़ा वर्ग **(14%)**	**00**	–	–	–	–	–		–	00
सामान्य– आर्थिक रूप से कमजोर **(10%)**	**00**	–	–	–	–	–		–	00
सामान्य	**00**	–	–	–	–	–	–	–	00
योग– 01 पद	**01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**01**

विज्ञापित पदों की संख्या घट–बढ सकती है।

(2) आरक्षण :– उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(3) अर्हतायें :– "उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" के भाग–4 के अनुसार समस्त अर्हतायें पूर्ण होनी चाहिये।

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बायोलॉजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उतीर्ण की हो।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक या यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में आवेदन की तिथि को पंजीकृत हो।

(अधिमानी अर्हतायें)–

(i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(ii) नेशनल कैडिट कोर का "बी" प्रमाण – पत्र प्राप्त किया हो, या

(iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण – पत्र प्राप्त किया हो।

(4) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(5) आयु :– विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। उत्तराखण्ड़ राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

(6) शुल्क :– आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– का बैंक चालान लेखाशीर्षक 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800– अन्य प्राप्तियाँ, 10–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ आयुर्वेदिक के शीर्षक में जमा होगा, आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर

18/8/25

दिया जायेगा। अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) चयन प्रक्रिया :– शासन द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1125/XXX-2010-90/2010 दिनांक 25.11.2010 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड़ आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010" में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के वर्षवार योग्यता क्रम (मेरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(8) आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :– निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र " **निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड़, डाण्ड़ा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई0टी0 पार्क, देहरादून"** के कार्यालय में **दिनांक– 08 सितम्बर 2025 तक** प्राप्त किये जायेगें। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जायेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

(10) अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करना भी अनिवार्य है–

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
2. हाई–स्कूल/इण्टरमीडियट प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका।
3. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका।
4. भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र।
6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
7. दो चरित्र प्रमाण–पत्र (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
8. निर्धारित शुल्क का बैंक चालान मूल रुप में।
9. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगें हों।
10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र यदि कोई हों तो।

18/8/25

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक (IAS)